न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

FORM A

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA

DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)

पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी

निर्णय की तिथि– 03–08–2026

सत्र प्रकरण कमांक- 79/2026 सी0आई0एस0 – 79/2026

सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

(थाना बरबीघा (केवटी ओ0पी0) के अपराध कमांक 74/19 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 18.03.2026 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, वल्द–बौधी राउत, उम्र–60 वर्ष। 2. गौतम कुमार, वल्द–उमेश राउत, उम्र–33 वर्ष। 3. आरती कुमारी, वल्द–उमेश राउत, उम्र–30 वर्ष। 4. रेखा देवी, पति–उमेश राउत, उम्र–58 वर्ष। सा0–गंगटी, थाना–बरबीघा (केवटी ओ0पी0) , जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री गोपाल कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	20.03.2019
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	21.03.2019
आरोप पत्र की तिथि	27.07.2019
आरोप गठन की तिथि	04.04.2026
साक्ष्य आरंभ की तिथि	20.04.2026
निर्णय निर्धारण की तिथि	20.07.2026
निर्णय की तिथि	03.08.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	––––––

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

अभियुक्तगण का विवरणः–

क्रम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत	10.07.2019 26.09.2025	10.07.2019 26.09.2025	**धारा– 341/34, 323/34, 307/34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**	––––	––––
2.	गौतम कुमार	17.07.2019 26.09.2025	17.07.2019 26.09.2025	**धारा– 341/34, 323/34, 307/34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**		
3.	आरती कुमारी	12.01.2026	12.01.2026	**धारा– 341/34, 323/34, 307/34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**		
4.	रेखा देवी	10.07.2019 26.09.2025	10.07.2019 26.09.2025	**धारा– 341/34, 323/34, 307/34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**		

निर्णय

(1). अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी का धारा–341/34, 323/34 एवं 307/34 भा0 द0 सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2019 को सूचक रीना देवी द्वारा केवटी आउट पोस्ट थाना बरबीघा जिला शेखपुरा में यह लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 20.03.2019 को रात्री 09:00 बजे सूचक के पति को खाना खिलाने के लिए उसकी चचेरी चाची बुलाकर अपने घर ले गई वहाँ उसे खाना खिलाया तथा जबरदस्ती शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद उमेश राउत, गौतम राउत, आरती कुमारी और रेखा देवी द्वारा उसे मारा–पिटा गया, जिससे उसका सिर फट गया। सूचक तथा ग्रामीणों के सहयोग से उसके पति को ईलाज के लिए बरबीघा अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका ईलाज हुआ।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध थाना बरबीघा (केवटी ओ0पी0) के अपराध कमांक 74/2019 धारा–341,323,324,307,एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध धारा–341,323,307 एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा, जिला–शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2019 को आरोप पत्र कमांक 145/2019 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 18.03.2026 का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध धारा–341,323,307 एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 18.03.2026 को पारित आदेश द्वारा मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध दिनांक 04.04.2026 को धारा– 341/34, 323/34, एवं 307/34 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 16.06.2026 को इस सत्र विचारण के अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी का धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उन्हें झूठा फॅसाने की बात कही गयी। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने में सफल रहा है।

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र पॉच अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01, रीना देवी अभियोजन साक्षी संख्या–2 सहदेव राउत, अभियोजन साक्षी संख्या–3 ललिता देवी, अभियोजन साक्षी सं0–04, संजय राउत और अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक रीना देवी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1, संजय राउत के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ0 फैसल अरसद के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा समझौता प्रपत्र पर संजय राउत के हस्ताक्षर को प्रदर्श–D1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीना देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की सूचक हूॅ। 2019 की घटना है। दिनांक 20.03.2019 को नौ बजे रात्रि में जब मैं अपने घर पर थी। मेरे पति संजय राउत को मेरी चचेरी चाची रेखा देवी द्वारा बुलाकर अपने घर ले जाया गया। वहॉ मेरी चाची रेखा देवी मेरे पति को खाना खिलायी और शराब पिलाया। इसके बाद मेरे पति संजय राउत को बुरी तरह से मारपीट किया गया जिससे उनका सिर फट गया। मेरे पति को उमेश राउत, उसका पुत्र गौतम, आरती कुमारी और चाची रेखा देवी ने मिलकर मारपीट किया था। बरबीघा अस्पताल में मेरे पति का इलाज हुआ। घटना का लिखित आवेदन हिमांशु कुमार ने लिखकर दिया , जिसपर मैने अपना हस्ताक्षर किया, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। आज गौतम कुमार न्यायालय में उपस्थित है इन्हें पहचानती हूॅ। अन्य रहते तो उन्हें भी पहचान लेती।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है मैं और मेरे पति संजय राउत ने सभी अभियुक्तों के साथ राजी खुशी से समझौता कर लिया है। इस आशय का समझौता आवेदन मेरे द्वारा दाखिल किया गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण मेरे गोतिया है, अभियुक्तों ने मेरे पति के साथ मारपीट नहीं किया था, गिरने से उन्हें चोटें आयी थी। यदि वाद की कार्यवाही समाप्त हो जाय, तो मुझे आपत्ति नहीं है। आवेदन हिमांशु कुमार ने लिखा था, आवेदन में लिखे गये तथ्यों को मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02 सहदेव राउत ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की घटना के बारें में कुछ नहीं जानता। रीना देवी मेरी अपनी छोटी भभू है, और संजय राउत मेरा छोटा भाई है। पुलिस ने मुझे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं किया था। उमेश राउत मेरे गॉव के रिश्ते से चाचा लगते है, गौतम राउत, आरती देवी और रेखा देवी सभी को मैं पहचानता हूॅ, सभी मेरे गोतिया में है।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 30.06.2019 को समय नौ बजे रात्रि को मेरे भाई संजय राउत को चाची रेखा देवी घर से बुलाकर ले गयी तथा उमेश राउत, गौतम राउत आरती कुमारी, और रेखा देवी मिलकर उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये, जख्मी संजय राउत का इलाज रेफरल अस्पताल बरबीघा में हुआ। आज गौतम कुमार न्यायालय में उपस्थित है इन्हें पहचानता हूॅ। अन्य रहते तो उन्हें भी पहचान लेता।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आज मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया हूॅ।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–3 ललिता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की घटना के बारें में कुछ नहीं जानती। पुलिस ने मुझ से घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं किया था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि रीना देवी मेरी बहू है और संजय राउत मेरा पुत्र है। उमेश राउत मेरा गोतिया हैं, गौतम राउत, आरती देवी और रेखा देवी सभी को मैं पहचानती हूॅ, सभी मेरे गोतिया है। यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 30.06.2019 को समय नौ बजे रात्रि को मेरा बेटा संजय राउत को रेखा देवी घर से बुलाकर ले गयी तथा उमेश राउत, गौतम राउत आरती कुमारी, और रेखा देवी मिलकर उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये, संजय राउत का इलाज रेफरल अस्पताल बरबीघा में हुआ। आज गौतम कुमार न्यायालय में उपस्थित है इन्हें पहचानती हूॅ। अन्य रहते तो उन्हें भी पहचान लेती।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है आज मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय राउत ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 20.03.2019 को समय नौ बजे रात्रि की है उस समय मैं घर पर था, तो उमेश राउत, गौतम राउत आरती कुमारी और रेखा देवी हमलोगों के साथ विवाद किया, उसी में वे लोग मिलकर हमलोगों के साथ मारपीट किया, मारपीट में मैं भी जख्मी हुआ। उमेश राउत, गौतम राउत, आरती कुमारी, सभी को पहचानता हूँ। सभी अभियुक्तगण मेरे रिश्तेदार है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है अभियुक्तगण मेरे रिश्तेदार है। सभी अभियुक्तों से राजी खुशी से सुलह समझौता हो गया है। इस आशय का समझौता आवेदन दाखिल किया गया है, समझौता आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। इसे पहचानता हूँ, इस पर मेरा हस्ताक्षर है, इसे प्रदर्श D-1 अंकित किया जाता है। अभियुक्तगण ने हमलोगों के साथ मारपीट नही किया था, गिरने की वजह से मुझे चोटें आयी थी।

(12). अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि

On 20.03.2019, I was posted as Medical Officer at Referral Hospital Barbigha, I examined Sanjay Raut, aged about 35 years, S/o- Banaras Raut, R/o- Gangti, P.S Barbigha, on 20.03.2019 at 10:35 P.M at Referral Hospital, Barbigha, Sheikhpura and found the following injuries on his person:

Lacerated wound at parietal region of skull over scalp 1 ½" x ½" x Bone Deep horizontally placed.

The patient is fully drunken and alcoholic smell coming out of his mouth. Irrelevant talk and very aggressive.

Opinion – The injury is caused by Hard and blunt substance and is simple in nature. This injury report is in my writing and signature, I identify it, the same is marked as exhibit - 2 for prosecution.

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है इंजुरी का रंग मैने जख्म रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। इस तरह का जख्म कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। जख्म प्राणघातक प्रकृति का नहीं था और शरीर के नाजुक अंगो पर नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि जख्मी के मेल में आकर मैं गलत जख्म प्रतिवेदन जारी किया हूँ।

(13). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(14). विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियोजन की तरफसे परीक्षित कराए गए साक्षियों में से

अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीना देवी और अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय राउत द्वारा अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया गया है, जिसका सम्पोषण अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद के साक्ष्य से हो रहा है।

इन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन अभियुक्तों को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(15). अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या–2 सहदेव राउत और अभियोजन साक्षी संख्या–3 ललिता देवी द्वारा साक्ष्य के दौरान अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीना देवी द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय राउत द्वारा भी आंशिक रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं किया था, बल्कि गिरने से उसे चोटे आई थी।

इन दोनों साक्षियों द्वारा प्रतिपरीक्षण में दौरान प्रकट किए गए तथ्यों से मुख्य परीक्षण में अभियुक्तों द्वारा आहतों के साथ मारपीट किए जाने के विषय में किए कथन विखंडित हो गए है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने हेतु किसी प्रकार की सामग्री विचारण के दौरान अभिलेख पर लाने में पूर्णतः विफल रहा है।

उक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(16). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(17). अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आशय से अग्रसरण में सूचक रीना देवी के पति संजय राउत के साथ मारपीट कर उसकी हत्या का प्रयास करने के अपराध सहित अन्य अपराधों के

आरोप में विचाराधीन अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध धारा–341/34, 323/34, एवं 307/34 भा0 द0 सं0 के तहत आरोप गठित कर विचारण की कार्यवाही की गई है।

विचारण के दौरान मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पॉच साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय राउत अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना का एकमात्र आहत/जख्मी साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीना देवी आहत संजय राउत की पत्नी है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सहदेव राउत आहत संजय राउत का बडा भाई है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 ललिता देवी आहत संजय राउत की मॉ है। अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद द्वारा आहत संजय राउत के जख्मों का परीक्षण किया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 सहदेव राउत जो आहत संजय राउत का भाई है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 ललिता देवी जो आहत संजय राउत की मॉ है। इन दोनों साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के पुलिस को बयान देने के तथ्यों से इंकार किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों साक्षियों से अभियोजन मामले के समर्थन में अनेकानेक सुझाव देने के बावजूद भी इन साक्षियों के उत्तर से अभियोजन मामले को प्रमाणित करने हेतु किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रकट नहीं हो पाया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय राउत जो अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना का एकमात्र आहत साक्षी है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–1 रीना देवी जो इस साक्षी की पत्नी है इन दोनों साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन मामले का आंशिक समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा दिनांक 20.03.2019 को रात्रि 09:00 बजे संजय राउत के साथ मारपीट किए जाने और उस मारपीट में संजय राउत को जख्मी होने का तथ्य प्रकट किया गया है।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में इन दोनों साक्षियों द्वारा संजय राउत को गिरने से चोट आने की बात बताई गई है। प्रतिपरीक्षण में गिरने से चोट आने के संबंध में प्रकट किया गया तथ्य अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद के न्यायालयीन साक्ष्य से समर्थित और संपोषित है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका–3 में अभियोजन साक्षी संख्या–5 डॉ0 फैसल अरसद द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि सतह पर गिर जाने से जख्मी को आई चोटो जैसी चोट आ सकती है।

इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समीक्षा से आहत को आई चोटों के कारणों के संबंध में परस्पर विराधी संबद्ध प्रकट हुए है। जख्मी एवं उसकी पत्नी द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रकट किए तथ्यों से घटना में अभियुक्तों द्वारा मारपीट किए जाने से आहत संजय राउत के चोट आने के संबंध में मुख्य परीक्षण में किए गए कथन प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों द्वारा किए गए प्रतिकुल कथनों के कारण संदिग्ध हो गए है। साथ ही प्रतिपरीक्षण में चोटे आने के कारणों के संबंध में इन साक्षियों द्वारा किए गए कथन चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य से समर्थित एवं संपोषित है। ऐसी दशा में अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना नितांत आवश्यक है।

अपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि घटना में आई चोटों के कारणों के संबंध में अभियुक्तों के संलिप्त होने के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य परस्पर विरोधी तथ्य प्रकट हो रहे हो तो उन तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए। जो अभियुक्तों की निर्दोषिता को निष्कर्षित करते हो।

मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाए गए है।

इस प्रकार इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के उपरोक्त वर्णित समीक्षा के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन पक्ष विचाराधीन अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण उचित संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण उमेश कुमार उर्फ उमेश राउत, गौतम कुमार, आरती कुमारी और रेखा देवी को आरोपित अपराध धारा–341/34, 323/34, एवं 307/34 भा0 द0 सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सभी दोषमुक्त पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत बंध पत्र विखंडित किये जाते हैं और उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 03.08.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 03.08.2026

FORM-C

अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	रीना देवी	सूचक/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 2	सहदेव राउत	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 3	ललिता देवी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 4	संजय राउत	आहत साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 5	डॉ0 फैसल अरसद	चिकित्सा अधिकारी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति)चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-79/2026, सी0आई0एस0 – 79/2026
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-001804-2026

अभियोजन/बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक रीना देवी का हस्ताक्षर
2	P2/P.W5	संजय राउत के जख्म प्रतिवेदन पर डॉ0 फैसल अरसद का हस्ताक्षर

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	D1/P.W1	समझौता प्रपत्र पर संजय राउत का हस्ताक्षर

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण (जांच पंचनामा/ज्ञापन, बरामदगी पंचनामा/ज्ञापन, गिरफ्फतारी ज्ञापन, पोस्मार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, अन्य साक्ष्य	प्रमाणित/सत्यापित

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण अपराध का हथियार, आरोपी/पीडित के वस्त्र, मोबाईल फोन/इलेक्ट्रॉनिक वस्तु/वाहन, पर्स/कान की बालियॉ/पहचान पत्र, अन्य वस्तुऍ	प्रमाणित/सत्यापित

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–03.08.2026

Date of Judgment/order	03.08.2026
Date of Reserving Judgment/order	20.07.2026
Uploading Date	10.08.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari (steno)